समता फ़ैसला

(SAMATA JUDGEMENT)

संक्षिप्त परिचय एवं कुछ मुख्य घटनाएँ

उच्चतम न्यायालय का एक युग प्रवर्तक फ़ैसला

आदिवासियों को उनके मूल अधिकार वापिस

(समता बनाम आ.प्र. राज्य व अन्य।

समता

हैदराबाद

अक्टूबर, २००२

विषय सूचि

१.	प्रस्तावना/ परिचय	१
२.	अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासियों से पूछिए	६
३.	समता फैसले की कुछ मुख्य विशेषताएँ	७
४.	फैसले के बाद की घटनाएँ	८
५.	फैसले से उद्धृत कुछ विशेष अनुच्छेदों की व्याख्या	११

समर्पित :

अनन्तगिरि के आदिवासियों को
जिन्हें अभी और लम्बे संघर्ष पर चलना है ..

परिचय

हमारी कहानी

एक छोटे से सामाजिक कार्यकारी वर्ग को जो आदिवासियों के मूल अधिकारों के लिए संघर्षरत है, शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कई प्रकार के रास्तों का चुनाव करना पड़ता है। यह एक बहुत ही कठिन कार्य है, जिसमें जन आन्दोलन को विवेकपूर्ण राजनैतिक निर्णय के द्वारा, अनेकों विधि संगत युक्तियों के साथ न्याय प्राप्त करने के लिए संगठित किया जाता है। एक छोटे मूलभूत सामाजिक कार्यकारी वर्ग के रूप में हमारा अनुभव हमें एक अत्यन्त कठिन प्रक्रिया से गुजारता हुआ तथा आ. प्रदेश के उत्तरी तटीय आदिवासियों की छोटी-छोटी कठिनाइयों से उबारता हुआ अति विशाल विषयों की ओर खींच कर ले गया जिसमें पर्यावरण सबंधी कठिन विषयों तथा मानव अधिकार की सुरक्षा भी सम्मिलित थे।

आन्ध्र प्रदेश का उत्तरी तटीय क्षेत्र बहुत बडे जंगलों से घिरा है। जहाँ के अधिकतम आदिवासी लोगों की जीविका कृषि एवं वन से प्राप्त उत्पादों पर आधारित है। निरक्षरता, कुस्वास्थ्य, कानून के प्रति अनभिज्ञता, सामाजिक व आर्थिक शोषण तथा मूलभूत सुविधाओं का अभाव उनकी मुख्य समस्याएँ हैं। इन्हीं कारणों से आदिवासी लोग अपनी जमीन तथा अन्य संसाधनों से अनभिज्ञ हैं। इस प्रकार के शोषण के चलते समता का मुख्य उद्देश्य इन आदिवासी समुदायों को जोडना तथा जागृत करना था जिससे वे अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य तथा अन्य जातियों द्वारा किए शोषण से बच सकें।

आन्ध्र प्रदेश का यह अनुसूचित कार्यकारी क्षेत्र भारत के संविधान की पांचवी अनूसूचि के अन्तर्गत आता है जहाँ आदिवासियों को अपने अधिकारों की रक्षा का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। यहाँ आदिवासियों की भूमि का अन्य जाति को हस्तांतरण करना निषिद्ध है। परन्तु कानून होने के बावजूद आं.प्र. में अन्य जातियों द्वारा भूमि का अतिक्रमण व अधिग्रहण रुका नही हैं।

आदिवासियों की भूमि को अन्य जातियों तथा ऋण कर दाताओं से मुक्त कराने का संघर्ष समता तथा आदिवासियों द्वारा लोकतंत्रीय परम्पराओं के अन्तर्गत धरनों तथा अन्य साहसिक कार्यों द्वारा किया गया। कई बार आदिवासियों को छुड़ाने के लिए समता को न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा अथवा राज्य को अनूसूचित क्षेत्र कानून लागू करने की मांग को दोहराया गया। इस प्रकार स्थानीय विषयों में घिरे रहने के बावजूद समता न चाहते हुए भी राष्ट्रीय तथा विश्वीय झमलों में लपेटी गई।

विशाखा जिला, अनेक खनिजों जैसे कैलसाइट, बाक्साइट, लाइमस्टोन, माइका इत्यादि से सम्पन्न है किन्तु अनन्तगिरि मण्डल के आदिवासी खनन उद्योग की शक्तिशाली व्यापारिक समाकक्षों (लॉबीस) से पीड़ित थे। छोटी-छोटी निजी खनन कम्पनियाँ आदिवासी भूमि का अधिग्रहण कर, उन्हीं को मजदूर बनाकर खनन कार्य कर रही थी।

बोरा पंचायत के आदिवासी जो सदियों से इन पहाडियों का प्रयोग कर रहे थे, उनको उन्ही की जमीन से बेदखल कर दिया गया। (बोरा की गुफाएँ जिनका सम्बन्ध पूर्व ऐतिहासिक काल से है, पूरे विश्व में अपनी स्टैल्कलाइट व स्टैलग्माइट भूगर्भीय रचना के लिए प्रसिद्ध है)

दूसरी ओर, खनन कम्पनियों को १९६० से आदिवासी तथा वन भूमि को पट्टे (लीज़) पर दिया गया। बोरा के आदिवासियों ने समता से स्वत्व अधिकार पत्र (TITLE DEED) के लिए सहायता की माँग की। शुरू में समता ने इसे भूमि हस्तांतरण का ही एक मामला समझा परन्तु जब सारे मामले को स्थानीय व जिला स्तरीय अधिकारियों के समक्ष रखा गया तो उन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर की और मामले के हल के लिए सरकार के खिलाफ न्यायालय में जानने का सुझाव दिया।

इस प्रकार हमने भी यह महसूस किया कि यह संघर्ष मात्र अन्य जाति विशेष के विरुद्ध न होकर राज्य के खिलाफ ही करना होगा।

सबसे बड़ी निजी कम्पनी के रूप में प्रथम प्रयास बिरला पेरिकलास का था जो इण्डियन रेयन इण्डस्ट्रीस की ही एक कम्पनी है। कम्पनी को पहले १२० एकड़ भूमि का पट्टा एक छोटे से सुदूर गांव, निम्मलापाडू में दिया गया जहाँ कैल्साइट का शोषण करना था जो अनेक भीमली के पास

सीवाटर मैगनीशिया प्लांट के लिए प्रमुख कच्चे सामान के रूप में प्रयोग आना था।

समता ने सर्वप्रथम मीडिया की मदद ली तथा तकनीकी विशेषज्ञों के माध्यम से खनन संबंधी जानकारी को प्राप्त किया ताकि आदिवासियों की कठिनाइयों को उजागर किया जा सके। मीडिया द्वारा अधिक से अधिक प्रसारित लेखों के बावजूद सरकार की बेरुखी ने हमें समस्या से जूझने के लिए कुछ अन्य उपायों को खोजने के लिए मजबूर किया। इस प्रकार हमने पाया कि पट्टों का स्थानांतरण अनूसूचित क्षेत्र में भूमि संबंधी अध्यादेशों (१९७० का एलटीआर कानून) के विपरीत था तथा हमने इन पट्टों के बारे में प्रश्न उठाया। एक बड़े और मजबूत जन आन्दोलन को बनाने के साथ-साथ समता ने कानून लड़ाई के रूप में सरकार से अनूसूचित क्षेत्रों से खनन लीज़ का निजि कम्पनियों को देने के अधिकार को चुनौती दी क्योंकि यह पट्टे आदिवासी भूमि को अन्य जाति के लोगों द्वारा हस्तांतरण करने का मामला था।

१९९३ में आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई जिसमें सरकार को एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया। जिसके अनुसार सरकार को अनुसूचित क्षेत्र से किसी अन्य जाति अथवा कम्पनी को भूमि पट्टा देने के अधिकार नही है।

इस पर पहली बार स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश (च्क्ष्क्ष् ःडक्षक्ष्क्ष्) दिया गया जिसके फलस्वरूप बोरा पंचायत के आदिवासी लोगों ने अपनी भूमि पर खेती की।

यहाँ इस बात को समझना अति आवश्यक है कि समता की किस प्रकार के राजनैतिक परिवेश में एक आदिवासी अधिकार संस्था के रूप में कार्य करना पड़ रहा था। आन्ध्र प्रदेश में एजेंसी क्षेत्र बहुत ही दंगाग्रस्त और संवेदनशील क्षेत्र है क्योंकि यहाँ पर वामपंथी ताकतों जैसे पीपुल्स वार ग्रूप की गतिविधियों का अधिकार है। पुलिस और इन संगठनों के बीच गोलीबारी और तनातनी का वातावरण सदा ही बना रहता है। जिसके फलस्वरूप दोनों में ही इस प्रकार से लोगों को जोड़ने और उनके अधिकारों की आवाज को बुलन्द करना उनमें एक संदेह उत्पन्न करता है।

मुसीबत तो यह कि दोनो ही हमसे इस लिए अत्यन्त नाराज़ रहते, क्योंकि उनके अनुसार हम उनके अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। यही कारण है कि समता को दोनों वर्गों से पिछले कई सालों में एक प्राथमिक मूलभूत सामाजिक कार्यकारी संस्था के रूप में जोर-जबर्दस्ती भरा और शत्रुतापूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

इस प्रकार के राजनैतिक वातावरण में समता के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह राज्य सरकार से संविधान के अनुकूल उचित कानूनी कार्यवाही की माँग करे। यद्यपि खनन संघर्ष के दौरान कई बार हमें असंवैधानिक व नाजायज (गलत) तरीकों से सरकार एवं उग्रवादियों द्वारा उत्पीड़ित किया गया। कभी-कभी हमारे घरों व कार्यालयों पर छापे मारे गए। हमारे कार्यकर्ताओं को गलत तरीके से हिरासत में रखा गया। जब कभी वो गाँव में लोगों को संगठित करने जाते अथवा यह देखने कि न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों का पालन किया जा रहा है या नहीं तो पुलिस द्वारा उनको कई प्रकार की शारीरिक और मानसिक यातनाएँ दी गई। परन्तु सत्य तो यह है कि हमारी परस्पर शक्ति व संघर्ष के प्रति पूर्ण विश्वास ने हमें और आदिवासियों को ऐसे कठिन समय में धैर्य प्रदान किया।

१९९५ में स्थगन आदेश को खारिज कर दिया गया और उच्च न्यायालय ने मुकदमें को रद्द कर दिया। अब हमें दिल्ली की ओर भागना पड़ा ताकि कानूनी लड़ाई के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाए। एक अन्जान व्यक्ति के रूप में यह एक अत्यन्त कष्टप्रद और अनूठा प्रयास था जिसमें गांव की समस्या को उच्चतम न्यायालय में ले जाना था और कानूनी लड़ाई के लिए स्वयं को तैयार करना था। ऐसे में कुछ हितैषी और अन्य अधिकारी वर्ग तथा मित्रों ने हर प्रकार से आश्वस्त किया एवं उच्चतम न्यायालय में वकीलों और उचित कानूनी सलाह के लिए सहायता की।

एक उच्च वकील द्वारा जो आदिवासियों की ओर से मुकदमा लड़ रहा था एक विशेष याचना पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया, जिसके बिना हम यह जंग जीतने की कल्पना ही नही कर सकते थे। जुलाई १९९७ में हमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगणों द्वारा एक युग प्रवर्तक फैसला

सुनाया गया जिसके अनुसार किसी भी प्रकार के खनन (लीज़) का दिया जाना भूमि हस्तांतरण अधिनियम के विरुद्ध घोषित किया गया। फलस्वरूप इसे रद्द करार दिया गया। इस फैसले की कुछ मुख्य विशेषताएँ निम्न है-

१. सरकारी भूमि, वन भूमि तथा आदिवासी भूमि जो कि अनूसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत आती है, उसे किसी अन्य जाति या कम्पनी को लीज़ पर नही दिया जा सकता है।

२. वह मामला जो बोरा पंचायत में वन संरक्षित क्षेत्र में भूव्यवस्था के न सुलझने से प्रारंभ हुआ उसके प्रति बैंच ने यह आदेश दिया कि राज्य सरकार को तुरन्त इसका स्वत्व अधिकार-पत्र (टाइटलडीड) उन आदिवासियों को जिनके पास यह जमीन है, दे दिया जाना चाहिए तथा यह भी स्पष्ट किया कि सरकार को उस जमीन पर जिस पर आदिवासी का अधिकार है, खनन लीज़ देने का अधिकार नही है।

३. सरकार संविधान की ५वीं धारा के अन्तर्गत अनूसूचित क्षेत्र में पडने वाली भूमि को खनन के लिए पट्टे पर नही दे सकती क्योंकि इससे धारा का अतिक्रमण होता है।

४. खनन कार्य केवल आन्ध्र प्रदेश राज्य मिनरल डेवेलपमेन्ट कॉर्पोरेशन अथवा आदिवासी सहकारी समिति के द्वारा ही किया जा सकता है तथा इसके लिए भी उन्हें वन संरक्षण कानून व पर्यावरण संरक्षण कानूनों को पूर्ण रूप से मानना होगा।

५. न्यायालय ने ७३वाँ संविधान संशोधन कानून तथा आन्ध्र प्रदेश पंचायतराज (अनूसूचित क्षेत्र विस्तार) को मान्यता प्रदान करते हुए ग्राम सभाओं को समुदायिक संसाधनों को संभालने के योग्य करार दिया तथा आदिवासी लोगों को स्वयं के निर्णय के आधार पर अधिकार को बल दिया।

६. न्यायालय ने अपना विचार प्रकट करते हुए कहा कि यदि आवश्यक हो तो, आन्ध्र प्रदेश सरकार का मुख्य सचिव एक कमेटी का गठन कर सकता है, जिसमें वह स्वयं, सचिव (उद्योग) , सचिव (वन) तथा सचिव (सामाजिक न्याय) सहित सत्य सूचनाओं को एकत्र कर ऐसा फैसला करें कि क्या उद्योग द्वारा खनन क्रियाओं का करना सम्भव व उचित होगा और

यदि कमेटी ऐसा सोचती है तो वह इसे कैबिनेट सब कमेटी के समक्ष रख सकती है। जिसमें उद्योग मंत्री, वन तथा आदिवासी कल्याण मंत्री यह जांच करें कि क्या लाइसेंस जारी रखे जा सकते हैं-अथवा आगे के लिए खनन प्रक्रियाओं पर रोक लगाई जानी चाहिए।

७. ऐसे मामलों में जहाँ इस प्रकार के कानून अन्य राज्यों में भी प्रचलित हैं और वह भी अनूसूचित क्षेत्रों में स्थित खनन कार्यों पर लीज को पूर्ण रूप से रोक नही लगाते, वहाँ इसी प्रकार की सचिव कमेटियाँ तथा ठराज्य केबिनेट सब कमेटी' का निर्माण कर फिर से निर्णय ले सकते हैं। परन्तु लीज़ देने से पूर्व राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक होगा कि वह एक सब कमेटी द्वारा केन्द्रीय सरकार से अनुमति प्राप्त करे जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री तथा अन्य केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा होनी चाहिए।

८. न्यायालय ने यह भी महसूस किया कि ऐसा उचित होगा यदि मुख्य मंत्रियों तथा इससे जुड़े केन्द्रीय मंत्रियों की एक बैठक बुलाई जाए जिसमें सम्पूर्ण देश के लिए आदिवासी भूमि तथा खनिज संसाधन शोषण पर एक स्थिर तथा योग्य नीति की व्यवस्था होनी चाहिए।

९. फलस्वरूप, न्यायालय ने राज्य सरकार को खनन कार्यों से जुडे उद्योगों को बन्द करने का आदेश दिया।

१०. न्यायालय ने ऐसा मत भी प्रकट किया कि अधिकारी (राज्य) के लिए यह आवश्यकता है कि वह आदिवासी वर्ग के सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करे। जब राज्य अनुसूचित क्षेत्रों की भूमि को अन्य जातियों तथा उद्योगों को खनिज संसाधनों का शोषण करने के लिए लीज़ पर दे देता है तो इसके साथ ही उपरोक्त संवौधानिक तथा कानूनी बाध्यताओं को भी उन्हें सौंप देता है जो इन प्राकृतिक संसाधनों का शोधण करने का कार्य हाथ मे लेते हैं। न्यायालय ने आज्ञा दी कि कुल शुद्ध लाभ का २० प्रतिशत एक स्थायी कोष औद्योगिक/व्यवसायिक कार्य कलापों के रूप में अलग से रख लेना चाहिए जिसे वह जल संसाधनों के रखरखाव, विद्यालयों, अस्पतालों, सफाई कार्यों तथा परिवहन व सड़क निर्माण इत्यादि में इस्तेमाल कर सके। इस २० प्रतिशत विभाजन में दुबारा जंगल लगाना तथा पर्यावरण सम्भारण का खर्च शामिल नही होगा।

यह कानूनी जीत आदिवासियों के लोकतांत्रिक क्षेत्र व उनके अधिकारों के प्रति महान पुर्निवश्वास की प्रतीक थी। आ.प्र. में अनुसूचित क्षेत्र में की जाने वाले खनन प्रक्रियाएँ एक दम बन्द कर दी गई और कम्पनियों को अपना कार्य बन्द करने के आदेश दिए गए। आदिवासी फिर से अपनी भूमि पर लौट आए तथा खेती का कार्य करने लगें। इस आदेश के बाद अब वे अपने जिन्दगी पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ जी रहे हैं। जो भी हो उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया यह फैसला अन्तिम फैसला नही है और न ही यह न्याय के प्रति संघर्ष का अन्त है। इस फैसले ने सरकार व विभिन्न राजनैतिक दलों में बैचेनी का वातावरण तथा शत्रुता की अग्नि प्रज्वलित की है। अदालत के फैसले के तुरन्त बाद वामपंथियों की ओर से समता को एक राजनैतिक झटका दिया गया। हमें राज्य को पीछे ठकेलने की दिशा में ले जाने वाला एक शत्रु बताया गया तथा यह भ्रम भी फैलाया गया कि हम लोगों को राज्य के खिलाफ भड़का रहे हैं। इन्हीं कारणों से समता को आदिवासी क्षेत्रों से भागना पड़ा तथा अपने सामाजिक कार्यों को बीच में ही छोड़ना पड़ा, जिसमें खनन के विरुद्ध अभियान भी शामिल है।

राज्य ने अपनी ओर से कुछ नया करने का प्रयास शुरू किया है। राज्य व केन्द्र सरकार की ओर से फैसले में संशोधन करने की अपील उच्चतम न्यायालय में की गई है तथा निजी कम्पनियों को लीज़ देने के अधिकार को फिर से देने का अनुरोध भी किया है। यह खुशी की बात है कि पिछले तीन वर्ष से इस प्रकार के अनुरोधों को उच्चतम न्यायालय में न सिर्फ ठुकरा दिया है बल्कि इन्हें केवल आन्ध्र प्रदेश में ही नही, बल्कि अन्य आठ राज्यों में भी जहाँ अनूसूचित क्षेत्र हैं, वस्तु स्थिति को बनाए रखने का आदेश भी दिया है। इस संदर्भ में आ.प्र. सरकार तथा अन्य द्वारा न्यायालय आदेश में संवधर्न व रोक की अर्जी को जो उन्होंने समता के खिलाफ सिविल अपील सं. ४६०१-४६०२/१९९७ को दी थी, उसे न्यायालय ने ०६-०३-२००० को खारिज कर दिया है।

राज्य द्वारा इस प्रकार के प्रयत्नों का सीधा सा मतलब यह है कि उसमें समाज के प्रति न्याय को दिलाने की राजनैतिक इच्छा की कमी है अथवा एक दूरदर्शिता पूर्ण समान आर्थिक योजना का अभाव है। हम यह महसूस

करते है कि हमारी जैसी मूलभूत संस्था के लिए सामाजिक न्याय को कानूनी प्रक्रिया द्वारा पाने में गंभीर मर्यादाएँ हैं। भारत की आर्थिक नीति का बहुराष्ट्रीय उद्योगों के प्रति झुकाव तथा अपने सूदूर क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों का आर्थिक शोषण करने के लिए औद्योगिक लाबीस द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में अपना प्रभाव बनाने तथा फायदे के लिए हर प्रकार के हथकंडे अपनाये जा रहे हैं जिसमें कानून में संशोधन कराना भी शामिल है। जैसा कि निम्मलापाडु में एक बुजुर्ग ने सीधे से शब्दों में कहा कि कम्पनियाँ एक बन्दर की तरह है जो हमारी ज़मीन पर बार-बार हमला करती रहेंगी और यह एक जीवन पर्यन्त की लड़ाई है जिसमें हमें अपनी भूमि और उपज को बचाए रखना है।

और इस प्रकार लोगों का संघर्ष जारी है....

समता

अप्रैल, २०००

५वीं अनुसूचि क्षेत्र के आदिवासियों से पूछिए कि वे क्या चाहते हैं ?

भारत की उच्चतम न्यायालय का १९९७ का फैसला २०वीं शताब्दी का एक अद्‌भुत व अपने में अनूठा फैसला है। जिसकी तुलना आस्ट्रेलिया की उच्च न्यायालय द्वारा दिए ठमाबो केस' के साथ की जा सकती है। जिसके अनुसार सम्पूर्ण भूमि जो आदिवासियों तथा उनके पूर्वजों की है, उसका गोरे उपनिवेशों द्वारा दुरुपयोग किया गया। इस भूमि को पुनः उन्हीं आदिवासियों को वापिस कर दिया जाना चाहिए। समता फैसले ने भारतीय संविधान की ५वीं व छठी धारा में एक नई जान फूंक दी है।

इसने स्पष्ट कर दिया कि आदिवासी ज़मीन आदिवासियों के लिए ही है तथा जिसमें अन्य किसी औद्योगिक निगम का कोई हस्तक्षेप नही है। यह दुखकारक विषय है कि स्वतन्त्र भारत में इस फैसले की प्रशन्सा न करते हुए तथा दिशा निर्देशों की पालन करने का आदेश न देकर उसे एक बेकार और बेहूदा फैसला बताया गया तथा उच्चतम न्यायालय व संसद से इसको बदलने की माँग की गई। श्री राजीव धवन द्वारा ठदि हिन्दू' में ९ मार्च, २००१ का लेख एक अनूठा फैसला व माबो केस

समता फैसलें की कुछ मुख्य विशेषताएँ

('अपटेड कलेक्टिव' १३२ वें अंक से संकलित)

.... ९४. ७३वें संशोधन कानून, १९९२ के अन्तर्गत ...' प्रत्येक ग्राम सभा सुरक्षा के लिए सक्षम होगी.... कानून की धारा (m)

(ii) अनुसूचित क्षेत्र में भूमि हस्तांतरण को रोकने का अधिकार तथा किसी अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) के भूमि संबंधी गैर कानूनी हस्तांतरण पर आधिकारिक पूर्वावस्था तथा उचित क्रिया अथवा आदेश।"

११०. खनिजों का उत्खनन अथवा शोषण स्वयं आदिवासियों द्वारा स्वतंत्र रूप में या सहकारी संस्था बनाकर जिसे राज्य से वित्तीय सहायता प्राप्त हो।

११२. पूर्ण निषेध की अवस्था में न्यायालय द्वारा लीज़ लेने वाले के लिए परियोजना खर्च के भाग से कुछ विशेष कर्त्तव्य तथा नैतिक बन्धन बनाए गए हैं।

११४. शुद्ध लाभ का भाग कम से कम ३० %, स्थायी कोष के रूप में सुधार कार्यों के लिए रखा जाना चाहिए जिसमें दुबारा जंगल लगाना तथा पर्यावरण सन्तुलन कार्यों पर खर्च शामिल नही होगा।

११५. अनूसूचित क्षेत्रों से लीज़ द्वारा अन्य जाति के लोगों को हस्तांतरण की मनाही होगी।

११६. लीज़ का नवीनीकरण अथवा नई लीज़ को देना अथवा हस्तांतरण की मनाही होगी।

११७. खनन लीज़ का किसी अन्य को, कम्पनी को, कॉर्पोरेशन समूह अथवा साझीदारी फर्म इत्यादि असैवाधिक, अकार्यसाधक व निरर्थक मानी जाए। राज्य द्वारा चलाया गयी खनन प्रक्रियाएँ जैसे आ.प्र. खा. उ. का. इसमें शामिल नही होगी।

१२९. कुछ राज्यों में पूर्ण निषेध की अवस्था में ऐसे अनुसूचित क्षेत्रों के लिए सचिव कमेटी और राज्य कैबिनेट सब कमेटी का गठन करना चाहिए और इसके बाद ही कोई फैसला किया जाए।

१३१. आदिवासियों की भूमि के बारे में सभी मुख्यमंत्रियों का एक

सम्मेलन बुलाया जाए, जिसमें उस मंत्रालय विशेष के मंत्री, प्रधानमंत्री तथा सम्बद्ध केन्द्रीय मंत्रियों को भी शामिल किया जाए जो सम्पूर्ण देश के लिए एक स्थिर नीति का निर्धारण करें।

इन सब का मतलब यह है कि....

(अ) अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी लोगों को भूमि को खनन लीज़ देने का सरकार को अधिकार
प्राप्त नही है।

(आ) सरकारी भूमि, वन भूमि तथा आदिवासी भूमि को अनुसूचित क्षेत्र में स्थित है, उसे अन्य
किसी जाति या निजी उद्योग को लीज़ देने का अधिकार नही है।

(इ) सरकार अनुसूचित क्षेत्र में स्थित किसी भूमि को खनन कार्य के लिए लीज़ अन्य जातियों को नही दे सकती क्योंकि इससे संविधान की पांचवी सूचि का अतिक्रमण होता है।

(ई) अनुसूचित क्षेत्र में खनन का कार्य राज्य मिनरल डेवेलपमेन्ट कॉर्पोरेशन द्वारा किया जा सकता है और वो भी जब वन संरक्षण कानून तथा पर्यावरण सुरक्षित कानून के अनुसार हो।

(इ) न्यायालय में ७३वां संविधान संशोधन कानून तथा आ.प्र. पंचायत राज (अनुसूचित क्षेत्र विस्तार) कानून यह कहते हुए स्वीकार किया कि ग्राम सभा समुदायिक संसाधनों को सुरक्षित रखने में सक्षम है। इसलिए आदिवासियों को स्वयं की सरकारका अधिकार देने की आवश्यकता पर बल दिया।

(उ) यदि आवश्यक हो तो, न्यायालय का ऐसा मानना था कि आ.प्र. के मुख्य सचिव को एक कमेटी का गठन करना चाहिए जिसमें वह स्वयं एक सदस्य हो तथा सचिव उद्योग, वन एवं समाज सुधार सहित सत्य सूचनाओं को एकत्रित कर यह पता लगाए कि उद्योगों (इण्डस्ट्री) के लिए खनन करना सम्भव है अथवा नहीं। यदि कमेटी ऐसा सोचती है तो यह मामला केबिनेट सब कमेटी को भेज सकती है। जिसमें औद्योगिक मंत्री,

वन एवं आदिवासी उन्नति मंत्री यह फैसला करे कि इस प्रकार से लाइसेंस दिए जा सकते हैं अथवा नहीं।

(ऊ) न्यायालय ने ऐसा मत भी प्रकट किया कि उचित होगा यदि मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया जाए जिसमें इससे जुड़े अन्य केन्द्रीय मंत्रियों के साथ मंत्रणा कर सम्पूर्ण देश के लिए आदिवासियों की भूमि तथा खनिज संसाधनों के शोषण के लिए एक स्थिर व योग्य नीति की व्यवस्था करनी चाहिए।

(ए) न्यायालय ने ऐसा मत दिया कि शासन के लिए यह भी आवश्यक है कि वह आदिवासी वर्ग के सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करें। जब राज्य अनुसुचित क्षेत्रों की भूमि को अन्य जातियों तथा उद्योगों को खनिज संसाधनों का शोषण करने के लिए लीज़ पर देता है तो इसके साथ ही वह उपरोक्त संवैधानिक तथा कानूनी बाध्यताओं को भी उन्हें सौंप देता है जो इन प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करने का कार्य अपने हाथ मे लेता है। इसलिए न्यायालय में यह आज्ञा दी कि कुल शुभ लाभ का २०% एक स्थायी कोष के रूप में रखा जाना चाहिए, जिसे जल संसाधनों के रख-रखाव, विद्यालयों, अस्पतालों, सफाई कार्यों तथा परिवहन व सड़क निर्माण इत्यादि में प्रयोग कर सकें। इस २०% विभाजन में फिर से जंगल रोपित करना तथा पर्यावरण सम्भारण का खर्च शामिल नही होगा।

फैसले के बाद में होने वाली घटनाएँ :

आ.प्र. राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाए गए कदम यह स्पष्ट करते है कि सरकार को कम्पनियों के बारे में आदिवासी समुदाय से अधिक चिन्ता है।

मार्च, ६, २००० : उच्चतम न्यायालय ने राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा समता फैसले की अर्जी
को नामंजूर कर दिया जिसमें उन्होंने इसमें संशोधन की मांग की गई।

मई, २००० : आ.प्र. सरकार ने आदिवासी सलाह समिति को भूमि

हस्तांतरण अध्यादेश में संशोधन करने की मांग की।

जुलाई, १०, २००० : भारत सरकार के खनन मंत्रालय ने एक गुप्त प्रारूप (निर्देश : १६/४८/९७ - एम.वी.आई. एम. सिक्स) सचिव समिति को भेजा जिसमें ५वीं धारा में संशोधन की मांग की गई जिसमें समता फैसले की अवहेलना कर आदिवासी भूमि को लीज़ पर दिया जा सके।

अगस्त, २०००: लोकप्रिय धरनों तथा विरोध के कारण आ.प्र. के मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित संशोधन को वापिस लेने की घोषणा की।

सितम्बर, २१, २००० : मनोज मित्र द्वारा 'इंडियन एक्सप्रेस' के सम्पादकीय पृष्ठ के एक लेख में खान मंत्रालय द्वारा दिए गए गुप्त प्रारूप 'विस्थापना कोई विषय नहीं' का भण्डाफोड़ किया।

सितम्बर, २४, २००० : पुनः बडे स्तर पर विरोध के कारण विशाखापटनम ज़िले के आदिवासी क्षेत्र में आने वाले बाक्साइट खनन के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि अनूसूचित क्षेत्र में सम्भावित परियोजना को स्थगित किया गया है।

सितम्बर, २०, २००० : 'प्राकृतिक संसाधनों पर लोगों का नियंत्रण' के झण्डे के अन्तर्गत आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा के आन्दोलन को प्रारंभ होते देख एक कार्यकारी चौकसी कागुप्त संदेश सब स्थानों पर प्रसारित किया गया।

दिसम्बर, २००० : भारतीय सामाजिक संस्थान में भूमि अधिग्रहण कानून पर ५वीं धारा के अन्तर्गत 'विस्थापना तथा विस्थापित योजना' पर एक राष्ट्रीय परामर्श किया गया जिसमें विभिन्न राजनैतिक दलों ने अपने प्रतिनिधि भेजे।

जनवरी, २००१ तक : राष्ट्रीय तथा स्थानीय मीडिया में इसका अधिक से अधिक प्रचलन किया गया। बहुत से लोगों और वर्गों में पक्ष से जुड़े मंत्रीगण तथा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को इसके बारे में लिखा।

जनवरी, २६, २००१ : भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने अपने गणतंत्र दिवस भाषण में साफ शब्दों में संविधान की ५वीं धारा में परिवर्तन करने वालों के विरुद्ध कहा कि, ... आने वाली पीढियों को यह कहने का मौका नहीं मिलना चाहिए कि भारत का गणतंत्र हरी भरी पृथ्वी तथा भोले-

भाले आदिवासियों को नष्ट कर बनाया गया है। (टाइम्स ऑफ इंडिया, फरवरी, २४, २००१ से उद्धत्त)

फरवरी, २००१ : बाल्को की प्रक्रिया चल रही थी और उसी समय समता फैसले तथा ५वीं धारा के बीच विरुद्ध उठ खड़ा हुआ। छत्तीसगढ़ सरकार ने बाल्को मामले को निबटाने के लिए हड़बड़ी में स्टर्लाइट तथा केन्द्रीय सरकार को नोटिस जारी कर दिए।

मार्च, १५, २००१ : आदिवासियों की भूमि को निजी कम्पनियों को लीज़ करने के विवादित मामले में केन्द्रीय सरकार को खींचा गया और अन्त में मार्च १५ को प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में अर्जुन सिंह द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा कि समता फैसले के फलस्वरूप संविधान की ५वीं धारा में संशोधन के प्रति सरकार के पास कोई विचार नहीं है।

अप्रैल, २००१ : केन्द्रीय सरकार ने बाल्को से सम्बन्धित सभी मामलों को उच्चतम न्यायालय में अपने आधीन करने को कहा तथा उच्चतम न्यायालय ने आदेश पारित किया। बहुत दिनों से लटके हुए समता फैसले को पुनः निरीक्षण करने का मौका इस बार न्यायालय में फिर से खुल गया।

मई, ११, २००१ : अरुण शोरी, निवेश मंत्री ने एक कथन में कहा कि हम समता फैसले का फिर से निरीक्षण करना चाहते है।

इस प्रकार (हिन्दू, ११ मई २००१) सरकार की क्रियाओं से यह स्पष्ट हो गया है कि नीति परिवर्तन का अंदेशा है और ऊपर घटित घटनाएँ व व्यवस्था जो पिछले कुछ समय में घटी हैं उन्हीं से यह वर्तमान वस्तु स्थिति उत्पन्न हुई है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए निर्णय से उद्धृत कुछ विशेष खण्डों की व्याख्या

(खण्ड ९३, ९४, १०९, ११०, ११२, ११३, ११४, ११५, ११६, ११७, ११८, १२९, १३०)

९३. संविधान के (७३वाँ संशोधन) कानून, १९९२ द्वारा संविधान के खण्ड क्ष्क का संशोधन किया गया। जिसके अनुसार अपनी सरकार बनाने का नियम जो ग्राम पंचायत स्तर एवं इसके ऊपर लोकतंत्रात्मक मूल्यों के आधार पर अनुच्छेद ३४३ से ३४३ ज़ैड जी द्वारा प्रस्तावित किया गया। उस एक अभियोजन के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश के 'पंचायत विस्तारण अनुसूचित क्षेत्र' कानून, १९९६ का निर्माण किया गया। कानून के सेक्शन ४ (डी) के अनुसार संविधान के खण्ड क्ष्क में जो कुछ भी दिया गया है, ऐसा होते हुए भी प्रत्येक ग्राम सभा सुरक्षा के लिए सक्षम होगी तथा सुरक्षित सामुदायिक संसाधन की सेक्शन ४ की धारा (जे) के अनुसार अनूसूचित क्षेत्रों के छोटे-छोटे जलग्रहित स्थानों को उचित स्तर पर पंचायत को सौंप दिए जाने चाहिए।

धारा एम. (iii) के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में भूमि हस्तांतरण को रोकने के लिए तथा किसी आदिवासी जनजाति के सदस्य की भूमि को गलत तरीके से किये गए हस्तांतरण से मुक्ति दिलाने के लिए व धारा (त्‍) के अन्तर्गत गांव के बाज़ार को सम्भालने के अधिकार, जिस भी नाम से पुकारा जाए, उन्हें ग्रामसभा को सौंप दिए जाने चाहिए। इससे यह संकेत मिलता है कि आदिवासियों को अपने संसाधनों को जिसमें अनुसूचित क्षेत्र में उनकी भूमि हस्तांतरण भी सम्मिलित है उनके अपने स्व अधिकारों द्वारा तथा उचित कार्य विधि से उन्हीं को वापिस देने का अधिकार ग्राम पंचायत को दिया जाना चाहिए।

९४. 'व्यक्ति' की व्याख्या करते हुए व्यक्ति को मात्र एक प्राकृतिक अथवा वंशानुगत लिंग पुरुष रूप में न मानकर एक बड़े व्यवहारिक स्वरूप में देखा जाए जिसमें एक राज्य को जिसमें मंत्री मंडलीय

सरकार हो, उसे भी एक 'व्यक्ति' माना जाए। संविधान के अनुसार सरकार के पास यह अधिकार है कि वह राज्य में ज़मीन अधिग्रहण कर सकती है। इसे अपने पास रख सकती है अथवा अन्यत्र बेच सकती है। राज्यपाल का यह कर्त्तव्य है कि वह अनुसूचित क्षेत्र में शान्ति बनाए रखे तथा अच्छी सरकार व शासन जनता को प्रदान करे।

संविधान की ५वीं सूचि के सेक्शन ३ पैरा ५ (२) बी के भूमि अधिकार के अन्तर्गत राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त है कि वह आदिवासी और गैर-आदिवासी के बीच इसका आबंटन कर सकता है तथा अनुसूचित क्षेत्र में इसका किसी और द्वारा अधिग्रहण रोक सकता है। ५वीं धारा का मुख्य उद्देश्य तथा अधिकार आदिवासियों की अपनी विरासत, स्वायता, संस्कृति, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय के आधार पर शान्ति बनाए रखना तथा अनुसूचित क्षेत्र को अच्छी सरकार प्रदान करना है। इस प्रकार से सभी अनुबन्धित नियम व अधिनियम उपरोक्त उद्देश्यों को संविधान के अनुसार प्राप्ति के लिए मधुर सम्बन्धमय तथा आदिवासियों की प्रतिष्ठा के अनुकूल होने चाहिए जिससे कि उनकी सत्यनिष्ठा को बनाए रखा जा सके और इस प्रकार इसे एक सम्पूर्ण

योजना के अन्तर्गत सामूहिक न्याय की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। पैरा ५ उप पैरा (२) तथा धारा (ए) और (सी) के अनुसार आदिवासी तथा प्राकृतिक अन्य लोगों, जो कि आदिवासी नही हैं, के बीच भूमि के हस्तांतरण की मनाही है तथा ऋण, करदाताओं को आदिवासियों के शोषण पर भी रोक है। धारा (बी) न केवल आदिवासियों के बीच भूमि को बांटने के कार्य का नियमन करती है, बल्कि सरकार द्वारा अन्य लोगों को भूमि बांटने से भी मना करती है। इसको थोड़े खुले आधार पर देखें तो इसका मतलब यह हुआ कि नियमन को 'रोक' के रूप में उस धारा के अन्तर्गत माना जा सकता है। इसको इस प्रकार से देखने का मतलब यह हुआ कि संविधान का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि आबंटन केवल आदिवासियों को ही किया जा सकता है। पैरा (२) बी यह प्रतिष्ठित करता है कि सामूहिक न्याय सामाजिक -आर्थिक अधिकार को एक सही प्रकार से प्रकट करता है। अगर इसको एक निर्माणीय रचनात्मक दृष्टिकोण में

ले तो किसी भी प्रकार का आंतरिक या बाह्य संदेह नही रह जाता। 'व्यक्ति' शब्द दोनों प्रकार से अर्थात व्यवहारिक रूप में प्रयुक्त प्राकृतिक व्यक्ति, न्यायिक व्यक्ति तथा संवैधानिक सरकार के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। यह उन्मुक्त एवं खुले स्वरूप की व्याख्या सरकारी भूमि को अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों को उनके सामाजिक, आर्थिक न्याय के रूप में अधिकतम निबंटन के लिए उपलब्ध होगी जिसका प्रस्तावना में उल्लेख है तथा सूचि ३८, ३९ और ४६ आदिवासियों के लिए एक यथार्थता है। इसकी संकुचित व्याख्या संविधान के उद्देश्य को परास्त कर देगी। अत: अब शाब्दिक अर्थ में हम 'व्यक्ति' के रूप में सरकार या न्यायिक व्यक्ति निगम अध्यक्ष अथवा इसी प्रकार की अभिव्यक्ति वाले को शामिल समझेंगे। न्यायिक व्यक्ति द्वारा भूमि का हस्तांतरण अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्य व्यक्तियों अर्थात जो आदिवासी नही हैं, उनको भूमि का दिये जाने की मनाही होगी और इस प्रकार हम संविधान की ५वीं अनुसूचित के पैरा ५ (२) में दिए गए उद्देश्यों तथा सेक्शन ३ के कानूनू अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम शाब्दिक अर्थ में 'व्यक्ति' को मात्र प्राकृतिक व्यक्तियों के रूप में लेंगे तो इससे संविधान के उद्देश्यों को पराजित करेंगे।

इसलिए हम इस मत से सहमत हैं जिसमें 'व्यक्ति' शब्द से तात्पर्य राज्य सरकार से है तथा राज्य सरकार अनुसूचित क्षेत्रों से सरकारी भूमि को किसी और जाति तथा अन्यान्य को लीज़ पर देने का अधिकार नहीं रखती चाहे वो प्राकृतिक अथवा न्यायिक व्यक्ति ही क्यों न हो। परन्तु केवल आदिवासियों द्वारा निर्मित सहकारी समिति जिसका गठन सेक्शन ३ (१) (अ) के द्वारा दी गई दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया हो, को दिया जा सकता है। इसका किसी और प्रकार से मतलब निकालना ५वीं धारा में राज्यपाल को दिए गए अधिकारों की हार होगी। यदि इस प्रकार से कैबीनेट द्वारा गठित सरकार शासन की भूमि को अन्य लोगों में हस्तांतरित करेगी तो इससे शान्ति भंग होगी, अनुसूचित क्षेत्र का सुशासन अन्य लोगों के हाथों में जाने से आदिवासियों को अनुसूचित क्षेत्र को बाहर धकेल दिया जाएगा तथा उच्च और अधिक विकसित अन्य जाति के लोगों का एकाधिकार हो जाएगा जिसके कारण अनुसूचित क्षेत्र इन्हीं के हाथों में

चला जाएगा और इस प्रकार कानून केवल एक खोखली सूची की तरह रह जाएगा तथा आदिवासियों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति एवं व्यक्ति के रूप में उनकी अपनी प्रतिष्ठा का हनन हो जाएगा।

१०९. संविधान की ५वीं अनुसूची में जनता नीति यह स्पष्ट करती है कि राज्य सरकार भी एक व्यक्ति रूप में आती है तथा इसको भी सेक्शन ३ के आधीन अनुसूचित लोगों से सरकारी भूमि को खान खनन अथवा किसी अन्य कारणों से हस्तांतरित करने को कोई अधिकार प्राप्त नही हैं। १९६९ के जी.ओ. एम. संख्या ९७१/ रेवेन्यू-बी के अन्तर्गत सरकार को किसी अन्य जाति को भूमि देने की मनाही है।

श्री सुधीर चन्द्र ने इस विवाद से कि सरकार को इस अधिसूचना का अधिकार प्राप्त है ऐसा करना सरकार पर लागू नहीं होता क्योंकि बलपूर्वक भूमि देना संविधान की अपनी वचनबद्धता और कार्य नीति के विरुद्ध होगा, जिसमें उसे बिना टोक के आगे बताया गया कि सरकार का हस्पताल या बैंक निर्माण के लिए या अन्य इस प्रकार के सामाजिक कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण कर निबंटन करने को न रोकने के दो कारण हैं - १. पहला कि सरकार द्वारा भूमि को किसी अन्य के नाम स्थानांतरण करने में कोई स्वार्थ नही है। २. अपनी भूमि को स्वयं के नाम स्थानान्तरित करने का कानूनी प्रावधान नही है। इसलिए यह कहना कि अधिनियम सरकारी भूमि को अन्य जनहित में स्थानांतरित की बात कर रहा है, धारणा अयोग्य है। अधिनियम की मूल भावना अनुसूचित क्षेत्र से किसी अन्य जाति के नाम अचल सम्पत्ति का हस्तांतरण उसके अधिकार, पदनाम पर रोक लगाना है परन्तु किसी अन्य जाति के परोपकारी द्वारा आदिवासियों के सामाजिक- आर्थिक उत्थान के लिए अनुसूचित क्षेत्र में उनकी सहकारिता संस्थाओं द्वारा संगठन पर कोई रोक नही है। इसके अतिरिक्त यह कहना कि आर्थिक रूप से धनी खनिज संसाधन राष्ट्रीय सम्पत्ति के रूप में बिना अन्वेषण व उत्खनन के नही रखे जा सकते हैं तथा राष्ट्रीय विकास में बाधक हैं सत्यता से दूर हैं। इन्हीं खनिजों का उत्खनन अन्य जातियों द्वारा न कराके जो आदिवासियों के शोषण से ही ऐसा करते हैं क्यों न उचित योजना द्वारा बिना जैविक वातावरण व वन सम्पदा को नष्ट किए केवल

आदिवासियों द्वारा अथवा उनके द्वारा बनायी सहकारी समितियों द्वारा की जाए, जिसे राज्य सरकार से धन सुविधा भी प्राप्त हो। इस प्रकार करने से आदिवासियों को अपने जीवन स्तर को उठाने व सामाजिक तथा आर्थिक सुधार का भी मौका दिया जा सकता है जिससे उन्हें अपने स्वयं की प्रतिष्ठा, आर्थिक उन्नत पद स्व- शक्ति व अपनी उत्कृष्टता को उठाने का भी मौका मिलता है- राज्य विधानसभा में उत्तरी पूर्वी राज्यों में खनन क्षेत्रों को देने के लिएं एक संस्था बनाने की माँग रखी गई परन्तु चुनी गई विधानसभा ने केवल रॉयल्टी देने के लिए ही मान्यता प्रदान की। बहुत सारे स्थानों में खनिज संसाधन केवल आदिवासी क्षेत्रों तक ही सीमित है। इसलिए अधिनियम में सेक्शन ३ में प्रयुक्त भाषा के अनुकूल तथा खान कानून के सेक्शन (११) (५) के अनुसार हमनें मूल से सहायता के प्रति प्रश्न पर विचार किया यथा ५वीं धारा के पैरा ५ (२) (९) (बी) तथा 'व्यक्ति' रूपान्तरण में राज्य सरकार को भी सम्मिलित किया।

११०. संविधान की पांचवीं व छठी धारा का उद्देश्य जैसा हमनें ऊपर देखा है, मात्र अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि को अन्य जातियों द्वारा रोकना, खरीदना, रखना या हस्तांतरण न होकर यह निश्चित करना भी है कि आदिवासी अपनी भूमि का संरक्षण कर आनन्दपूर्वक रह सकें तथा एक व्यक्ति के रूप में पूर्ण मर्यादा तथा सामाजिक अधिकार से आर्थिक उन्नति कर सकें। इसमें कोई संदेह नही है कि खनिज संसाधनों का समान रूप से अन्वेषण कर राष्ट्र को प्रगति पर लाया जा सकता है। एक-दूसरे के अधिकारों को नुकसान पहुँचाए बिना अर्थात सरकार व आदिवासियों को मिलकर कार्य करना चाहिए।

राज्यपाल के पास संवैधानिक अधिकार है कि वह कानून द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों का भूमि को प्रतिक्रमण, रोकने व बेचने की प्रक्रियाओं पर अन्य जातियों के लिए रोक लगा सकता है। कैबीनेट को धारा २९८ के अन्तर्गत अपने संवैधानिक अधिकार द्वारा आदिवासियों को संरक्षण देना चाहिए। इसलिए न्यायालय को संविधान की मर्यादा तथा शासकीय नीति के अन्तर्गत अनूसूचित क्षेत्रों से अन्य जातियों के लिए भूमि हस्तांतरण पर पूरी तरह रोक लगानी चाहिए।

१११. पूर्ण निषेधता की अनुपस्थिति में धारा २९८ राज्यपाल को, जो कार्यकारी उच्चपदासीन है उसे भूमि हस्तांतरण का हक देता है क्योंकि इस कार्यकारी उच्चासीन को आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक हितों का भी ध्यान रखना है। ऐसे में यदि राज्य अनुसूचित क्षेत्रों की भूमि को किसी अन्य जाति को लीज़ पर देता है जो कि इसे खनिज सम्पदा के अन्वेषण/ उत्खनन में लगाता है तो इससे यह तात्पर्य है कि वह बदले में आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक हितों में सुधारीकरण का भी कार्य करता है। परियोजना के प्रशासकीय वर्ग के अन्तर्गत लाइसेंस धारक या लीज़कर्ता को निम्न लिखित मदों पर भी खर्च करना चाहिए -

(अ) अनुसूचित क्षेत्रों में दुबारा जंगल लगाना तथा जैविक परिवेश को बनाए रखना।

(ब) अनुसूचित क्षेत्रों में जहाँ तक कम्पनी या उद्योग के कार्य क्षेत्र का प्रभाव है उसमें सड़कों के रख-रखाव तथा यातायात सुविधाओं का भी ध्यान रखना होगा।

(स) आदिवासियों को पेयजल उपलब्ध कराना।

(द) स्कूलों की स्थापना तथा प्राइमरी व सेकण्ड्री स्तर पर मुफ्त शिक्षा तथा आदिवासियों के लिए व्यवसायिक शिक्षा तथा ट्रेनिंग जिसमें वह काम-धंधे के योग्य, समर्थ तथा विश्वस्त बन सके।

(घ) आदिवासियों को उनकी दक्षता के अनुसार फैक्ट्री में व्यवसाय प्रदान करा सकें।

(फ) अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों के लिए मुफ्त इलाज के लिए अस्पताल व कैम्पों की स्थापना।

(म) सफाई की व्यवस्था।

(भ) अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों के लिए घरों का निर्माण। इन सब उपरोक्त परियोजनाओं के लिए धनराशि औद्योगिक घरानों/ औद्योगिक अध्यवसाओं द्वारा उनके सालाना बजट से मिलनी चाहिए।

११३. इसके अन्तर्गत शुद्ध लाभ का कम से कम २० प्रतिशत औद्योगिक/व्यवसायिक कार्यकलाप हेतु एक स्थायी कोष के रूप में अलग से स्थापित किया जाना चाहिए। जिसको पानी के संसाधनो के रखरखा व

स्कूल, अस्पताल, सफाई कार्यों तथा परिवहन के लिए सड़क इत्यादि के निर्माण पर ख़र्च किया जाना चाहिए। इस २० प्रतिशत भाग में पर्यावरण व जैविक वातावरण बनाए रखने व जंगल लगाने का खर्च शामिल नहीं होगा। यहाँ इस बात को कहने का कोई विशेष औचित्य नही है क्योंकि इस सारे धन को आय से मुक्त का आवेदन करना होगा तथा केन्द्र सरकार को ऐसी सहायता के लिए छूट प्रदान करनी होगी तथा यह भी देखना होगा कि ये सब कार्य उचित रूप से लगातार हो रहें है। कार्यों तथा उत्तरदायित्वों का निर्वाह प्रत्येक व्यक्ति/उद्योग/लाइसेंसदाता तथा लीज़ प्राप्त कर्ता को अच्छी प्रकार करना चाहिए ताकि आदिवासियों के प्रति संविधान में किए सामाजिक, आर्थिक तथा मानवीय संसाधन सहायता देते हुए शान्ति स्थापना के साथ-साथ अनुसूचित क्षेत्रों में एक अच्छी सरकार भी प्राप्त की जा सके। हमनें अन्य कानूनों का गहराई से निरीक्षण नही किया है, परन्तु जब भी आवश्यकता हो तब इन कानूनों तथा इनमें प्रयुक्त भाषा का इस संदर्भ में निरीक्षण करना होगा। क्या सरकारी भूमि को खनन लीज़ के लिए देना नियम अथवा कानून के बाहर है?

११४. अब प्रश्न यह है कि 'क्या अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित भूमि को खनन लीज़ पर देने की इजाज़त कानून के बाहर का विषय है।' उपरोक्त के लिए वार्तालाप के अनुसार तथा इस निष्कर्ष के साथ कि 'व्यक्ति' में सरकार भी सम्मिलित है, एक प्राकृतिक नतीजा यही निकलता है कि लीज़ द्वारा खनन का कार्य किसी अन्य व्यक्ति द्वारा (जो आदिवासी नही है) ५वीं सूचि के पैरा ५(२) (बी) व अधिनियम के सेक्शन ३ के संदर्भ में वर्जित है। यह अभिलेख से उपलब्ध है कि अन्य जाति के लोगों ने व्यक्तिगत रूप से अपने खनन लीज़ के फायदों को अन्य प्रतिवादी कम्पनियों को स्थानान्तरित किया है। इसलिए सरकार को औद्योगिक कम्पनियों इत्यादि को खनन लीज़ की मनाही दी जाती है, एक माध्यम के रूप को छोड़कर।

११५. लीज़, जो कि भूमि में एक फायदे को स्थानान्तरण है अथवा एक ऐसा अधिकार जो इस स्वामित्व को जीविका के दौरान उपयोग किया जा सकता है, उसे स्थानांतरित करने की मनाही है। यह कानून की पूर्व

मानना है कि इस न्यायालय के कई फैसलों के अनुरूप लीज़ का नवीनीकरण असल में लीज़ की अनुमति देना है यद्यपि इसे नवीनीकरण की संज्ञा दी जाती है क्योंकि यह पहले से प्राप्त लीज़ को स्वयं सिद्ध करती है। अभिलेखों से यह भी ज्ञात हुआ है कि पहले कुछ प्रतिवादी कम्पनियों ने व्यक्तिगत लीज़कर्ताओं से खनन लीज़ को अपने नाम पर स्थानांतरित करवाया है। इस न्यायालय ने विक्टोरियन ग्रेनाइट्स प्राइवेट लि. बनाम पी. रामाराव मामले में व्यक्तिगत रूप में खनन लीज़ को कम्पनी के नाम स्थानान्तरित करने को गलत करार दिया क्योंकि इससे संविधान की अनुसूचि ३९ (बी) का उल्लंघन होता है तथा इससे राज्य के बहुविधि सामाजिक उद्देश्यों का हनन होता है एवं सामाजिक न्याय द्वारा उन्हें अपने सामाजिक-आर्थिक दशा को बदलने तथा अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के उद्देश्यों की क्षति होती है। अतः लीज़ का स्थानांतरण या खनन लीज़ का किसी और के नाम पर नवीनीकरण रद्द माना जाए, क्योंकि इससे संवैधानिक तथा कानूनी उद्देश्यों की पूर्ति नही होती।

११६. एक मामले में ऐसा भी देखा गया कि स्थानांतरण एक राज्य सरकार के माध्यम अर्थात आ.प्र. राज्य खनन विभाग के पक्ष में किया गया। यह पहले ही माना गया है कि सरकारी भूमि का स्थानांतरण अपने ही किसी अन्य माध्यम के रूप में कानून की दृष्टि से एक स्थानांतरण नही है बल्कि जनहित कार्य के लिए इसकी सम्पत्ति का सौंपना है। यह भी सत्य है कि एक सार्वजनिक कॉर्पोरेशन जनहित में कार्य करती है न कि स्वयं के फायदे के लिए। इसलिए इस प्रकार के स्थानांतरण ५वीं सूचि के आधीन पैरा ५ (२) (बी) तथा अधिनियम के सेक्शन ३ (१) (९) के अनुसार इसमें शामिल नही है। इसलिए इस प्रकार की लीज़ का स्थानांतरण स्थापित माना जाएगा। परन्तु किसी खनन लीज़ का किसी अन्य व्यक्ति, कम्पनी, कॉर्पोरेशन समूह अथवा साझेदारी फर्म इत्यादि को स्थानांतरण अवैध, रद्द तथा अकार्यशील माना जाए।

११७. आ.प्र. राज्य खनन विभाग को वन (संरक्षण) नियम १९८०, इ.पी. कानून इत्यादि के अनुरूप ही खनन अन्वेषण व उत्खनन करना चाहिए।

(संलग्न- क्या सरकार के पास भूमि को खनन कार्यों के लिए देने का अधिकार है)

११८. यह एक सत्य वस्तुस्थिति है कि पांच संलग्नक, जिसमें ४२६ एकड़ भूमि है, उन गांवों के आदिवासियों के अधिपत्य में थी। इसका पुनः सर्वेक्षण राजस्व, वन तथा खान विभागों द्वारा १९९० में शुरू किया गया तथा इसकी रपट २-८-१९९० को दी गई। यद्यपि ५ संलग्नों के ९८ गांव बोर्रा वन सुरक्षित कानून के रूप में जोओएम सं. २९९७ एफ व ए दिनांक ३१-१०-६६ में अधिसूचित किये गए थे परन्तु इन्हें वन संरक्षण क्षेत्र के बाहर दिखाया गया। इसलिए इन संलग्नों को जहाँ आदिवासी खेती कर रहे थे, वे उनकी पट्टा भूमि है तथा वे संबंधित अधिकारी से पट्टा लेने के अधिकार रखते हैं। प्रतिवादियों की ओर से यह भी माना जा रहा है कि सरकार के पास इन संलग्नों (बाड़ों) के अन्दर की भूमि को खान लीज़ के लिए देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। क्या ये लीज़ एफ.सी. कानून या इ.पी. कानून की अवमानना है?

१२९. किसी भी लीज़ को स्वीकृत करने से पहले राज्य सरकार के लिए यह कानूनन आवश्यक होगा कि वह केन्द्र सरकार की सहमति प्राप्त करे, जिसके लिए केन्द्र सरकार एक उप-समिति बनाए जिसमें प्रधानमंत्री, केन्द्रीय कल्याण मंत्री, केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री उपस्थित हो तथा पूरे राष्ट्र के लिए एक समान नीति का निर्माण करें।

१३०. यह भी खुले तौर से देखा जाए और अच्छा हो यदि मुख्यमंत्री, संबंधित मंत्रालयों के मंत्री तथा संबंधित केन्द्रीय मंत्री पूर्ण विचार विनमय करे जिसके बाद उपरोक्त प्रणीतियों को ध्यान में रखकर पूरे राष्ट्र के लिए एक अनुकूल नीति उभर कर आए जहाँ आदिवासी भूमि में खनिज एक राष्ट्रीय सम्पदा के रूप में पाए गए हैं।

'समता'

हैदराबाद

अक्टूबर, २००२